दिनांक 10.06.2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

निगम की तोड़फोड़ दस्ता ने अवैध निर्माण पर की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी के निर्देश पर निगम का तोड़फोड़ दस्ता वार्ड 16 के हनुमान मंदिर के पास चौक पर अफजल द्वारा अवैध कब्जा कर ईंट, बल्ली एवं सीट से पक्का निर्माण कर रहा था जिसे शिकायत के आधार पर बिना अनुमति के बनाये गये निर्माण कार्य को ढ़हा दिया गया। उसी तरह वार्ड 05 में बिना अनुमति के खेदू राम सागर द्वारा का◌ॅलम खड़ा कर पक्का निर्माण किया जा रहा था जिसे कार्य को रुकवाकर समझाईस दी गई कि बिना अनुमति के मकान का निर्माण न करें और दोबारा बनाये जाने पर होने वाले कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा का◌ॅलम से किये जा रहे निर्माण को तोड़ा गया और सामग्री भी जब्त की गई। तोड़फोड़ कार्यवाही में बालकृष्ण नायडू, प्रकाश अग्रवाल, जोन 02 के सत्य कौशिक, जोन 02 के राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आयुक्त श्री सुंदरानी ने आम नागरिकों से अपील की है कि बिना अनुमति के मकान का निर्माण न करें जिससे होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके। श्री सुंदरानी के निर्देशानुसार आज जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर निगम की उड़नदस्ता टीम कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 21 प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस , तथा प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग कर रहे थे जिससे 11000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन एवं प्लास्टिक कैरीबैग , एवं गंदगी फैलाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा देवांगन सायकल स्टोर्स , अश्वनी किराना दुकान , अमर मोबाईल, भूमिका पेपर मार्ट , यादव कोचिंग सेन्टर, गौतम मोबाईल, संजय स्टुडियो, पारस क्लाथ स्टोर्स , अन्नपूर्णा किराना एवं जनरल स्टोर्स , आयशा डिजिटल स्टूडियो, पवार फैंशन, बालाजी डोर्स, पैराडाईज टेलर्स, विनोद क्लाथ स्टोर्स पर कार्यवाही की गई। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित , लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें, प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग न करें, गंदगी न फैलायें ताकि आप पर होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।